कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती कंचन माला, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केरवाजाट, रामगढ जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजोली जिला धौलपुर किया गया था जिसके विरूद्ध कंचन माला द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 645/2021 कंचन माला बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 645/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि बाम्बोली, रामगढ, अलवर/राउमावि गढी सवाईराम, रैणी, अलवर अथवा राउमावि गूंदपुर, रामगढ जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर समायोजित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में माता–पिता/पुत्र–पुत्री/पति–पत्नी अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अलवर जिले के जिन विद्यालयों में पदस्थापन चाहा गया है, उनमें प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए समीपवर्ती धौलपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

उक्तानुसार अपीलार्थी कंचन माला, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि बीजोली जिला धौलपुर का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही माननीय अधिकरण द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया था अतः अपीलार्थी श्रीमती कंचन माला को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित विद्यालय राउमावि बीजोली जिला धौलपुर में कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/कंचन माला/645/2021/161 दिनांकः 18.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर संभाग, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/धौलपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर/धौलपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. कंचन माला, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि बीजोली जिला धौलपुर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)